



न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
२ ३८८२- ॥५॥ ।५ प्र. क्र. / 2014

1. मंजूला पति शोभागमल डोसी जाति जैन  
आयु 52 वर्ष लगभग
  2. श्रीमती रश्मि पति विवेक डोसी, जाति जैन  
आयु 32 वर्ष लगभग  
दोनों निवासी—64, जवाहर नगर, नीमच

प्रियकृ

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय,  
नीमच, जिला (नीमच म.प्र.) — प्रतिपाठी

पूर्नरीक्षण एवं अपील अन्तर्गत धारा 56 इन्डियन स्टेम्प एकट

**राजिस्टर्ड पोस्ट छारा द्वारा  
दिक्षित हो प्रस्तुत मान्यवर महोदय**

सेवा में, प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से निम्न प्रकार से  
 कलार्ड ऑफ कोर्ट  
 राजस्व लाइन अ.ब्र. घटनाक्रम  
 पूर्णीक्षण/अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स  
 जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्र. 2/सी.-131/2008-09 श्रीमती  
 मंजूला, आदि-2 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 21.08.2012 को दिये  
 गये निर्णय के विरुद्ध निम्नानुसार पत्र मिलने की दिनांक से अन्दर मियाद  
 60 दिन में सूचना मिलने की दिनांक से निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

मामले के तथ्य

अ. यह कि महानिरीक्षक पंजीयन दीपाली रस्तोगी के द्वारा दिनांक 06.08.2014 को सूचना पत्र क्रमांक 3544/तकनीकी/2014 को भिजवाये गये पत्र से ज्ञात हुआ कि दिनांक 22.11.2012 को कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधिक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को भिजवाये गये भारतीय स्टाप्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अन्तर्गत भेजे गये आवेदन पत्रों जिसमें अधीनरथ न्यायालय जिला कलेक्टर ऑफ स्टाप्प के

निरन्तर-2  
Rashmi

R 3882-II/14

28-12-15

गोपेतिका को बैठ वाले  
को छाप सह द्वारा जाना गो उच्चा।  
को साथ - A Part में संबंध छ  
आनन्दवदेश आमन को होर पूर्व  
जीष्ठिवला की ली. अम. व्यापी उच्चा।  
गोपेतिका की छाप विधि के  
शरण एकल भृत्य परव जे शास्त्र  
के अ वात की उच्च दारा हो।

Om

28/12/15

गोपेतिका  
28-12-15  
—  
(ली. अ. व्यापी)  
(ली. अ. व्यापी)